Year - 2020-2021

ANNUAL PROGRESS PREPORT

Manav Kalyan Seva Samiti

Karai, PO. & Tehsil Chopal, Distt. Shimla, HP – 171211

Phone – 01783260334, Fax – 01783260239

Mobile – +91 9816312732, +91 8219315197

E-mail – mksscpl@yahoo.co.in

Website – manavkalyan.org.in

संस्था का संक्षिप्त परिचय

विकास खण्ड चौपाल का समूचा क्षेत्र ग्रामीण, पहाड़ी व अति दुर्गम है जो कि पहले से ही आधुनिक सुविधाओं से वंचित रहा है। यहां आय वर्धन के कोई साधन न होने के कारण लोगों को गरीबी व बेरोज़गारी का समाना करना पड़ता है। इन तथ्यों को मध्यनज़र रखते हुए वर्ष 1980 में इस क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र के कल्याण एवं विकास हेतू एक ऐसे स्वंय सेवी संगठन का गठन किया जाना चाहिए जो निःस्वार्थ भाव से बिना किसी जाति, धर्म व भेदभाव के समान रूप से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी वर्गों के कल्याण एवं विकास के लिए निशदिनरत प्रयत्नशील एवं जागरूक रहे। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र से आये हुए बुद्धिजीवियों व अनुभवी क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम 'मानव कल्याण सेवा समिति' रखा गया। वर्ष 1980 से ले कर तादिन समिति ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान हेतु अनेकों प्रकार के विकासात्मक कार्य करती आ रही है। विशेषकर वृद्धजनों, महिलाओं व बच्चों के विकास व कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। इस समिति को दिनांक 26 अक्तूबर, 1988 को सभाएं पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के तहत पंजीकृत करवाकर वैधानिक रूप दिया गया। इसके पश्चात् समिति जनहित में अनेकों प्रकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का सफल एवं परिणामजनक संचालन करती आ रही है और निशदिन ग्रामीण विकास एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित भावना से जन कल्याण के कार्यों को मूर्त रूप देती आ रही है।

दलित वर्ग के उत्थान हेतु विशेष व सराहनीय प्रयत्न के लिए वर्ष 1991-92 में समिति के निदेशक श्री केशव राम लोदटा को तत्कालीन महामहीम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री विरेन्द्र वर्मा जी द्वारा सम्मनित किया गया है। इस समिति के संचालक को उत्कृष्ट एवं निष्काम भावना एवं परदशिता से समाज के कल्याणकारी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने हेतु कई क्षेत्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। समिति के सभी सदस्यों को समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा अनुभव है तथा सभी सदस्य निःस्वार्थ, निष्काम एवं समर्पित भावना से समाज सेवा के कार्यों में रूचि रखते हैं।

समिति के उद्देश्य :

समिति का गठन ग्रामीण विकास, निःसहाय महिलाओं, गरीबों, बाल कल्याण, अनुसूचित जाति/जन जाति, अल्पसंख्यकों, वृद्धों तथा विस्थापित लोगों को सहायता पहुचाने तथा उनके सर्वांगीण विकास व युवाओं तथा युवतियों को नशीले पदार्थों व नशीली दवाईयों के सेवन के हानियों के बारे में जागरूक करना तथा नशीली दवाईयों की डिमांड को निर्मूल करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा स्वास्थय जिसमें जल जनित रोगों से बचाव, स्वच्छता, शौचालय निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण तथा प्राकृतिक आपदओं से निपटने हेतु जागरूकता प्रसार शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना व जल संरक्षण तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्धता भी समिति का विशेष उद्देश्य है, क्यों कि भविष्य में ऐसा वक्त आने वाला है जब भूमि सिंचाई की तो दूर की बात होगी, पेयजल की बूंद - बूंद के लिए मानव को तरसना पड़ेगा। इस क्षेत्र में भोगौलिक स्थिति अनुसार पानी या तो प्राकृतिक स्त्रोतों से प्राप्त होता है या फिर बारिश के रूप में। लेकिन समय पर बारिश न होने के कारण पानी के प्राकृतिक स्त्रोत भी पूर्णतः सूखने के कगार पर है। यदि कभी - कभार बारिश होती भी है तो वह जल व्यर्थ में नालों में बह जाता है। समिति का जल संरक्षण में उद्देश्य रहता है कि बारिश के पानी को भी व्यर्थ बहने से रोक कर संग्रहित किया जाए ताकि पानी रिसाव व सनाव ज़मीन में बना रहे और हमारे जल के प्राकृतिक स्त्रोत भी जीवित रहे। सभी जानकार लोगों का कहना है कि यदि एक और विश्व महायुद्ध होता है तों सिर्फ पानी के लिए ही होगा। इसका समाधान केवल पानी का संरक्षण करना व सुगम उपलब्धता पर निर्भर होगा।

परियोजना के चयन एवं कार्यान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली कार्यशैली :

समिति द्वारा जिला शिमला के विकास खण्ड चौपाल, कुपवी व ठियोग तथा उतराखण्ड के विकास नगर तथा मण्डी जिला के करसोग में अनेकों प्रकार के जन कल्याणकारी तथा लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है। विकास खण्ड चौपाल का समूचा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें कई प्रकार की समस्याएं आज भी मुंह बाये व विकराल रूप धारण किये बरकरार हैं। विकास खण्ड चौपाल के क्षेत्रवासियों को विशेषकर दूर - दराज़ के ईलाके के लोगों को समिति से अपने स्तर पर से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करवाने की उम्मीद होती है। लिहाज़ा वे अपनी समस्याओं को स्थानीय संगठनों जैसे स्वंय सहायता समूह, महिला मण्डल व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से समाधान की सम्भावनाएं तलाशते हैं।

समिति इस पर गहन विचार विमर्श करती है और उस क्षेत्र में समिति का एक दल भेज कर वस्तुस्थिति से रूबरू होने के लिए एवं सर्वे करने के लिए भेजती है तथा ग्रामवासियों के साथ बैठकें कर उनकी समस्यओं के समाधान के लिए और तथाकथित समस्या का समाधान खोजने के लिए योजनाएं बनाती है और ऐसी समस्या का समाधान ऐसी योजना के माध्यम से खोजती है जो अधिक लाभप्रद साबित हो सके और ग्रामीणों की समस्या का समाधान एक चिरस्थायी (Sustainable) विधि के तौर पर हो सके। तत्पश्चात् सर्वेक्षक दल योजना को समिति की कार्यकारिणी के बैठक में प्रस्तुत करता है जिसे बाद गहन विचार - विमर्श के समिति की कार्यकारिणी योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार कर प्रस्ताव पारित करती है तथा सरकारी, अर्धसरकारी व गैर-सरकारी वित्तप्रदायी संस्थानों को आर्थिक सहायता के निवेदन सहित प्रेषित करती है।

समिति सभी प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सम्बन्धित समुदायों की उप-समितियां गठित करती है और सभी स्थानीय संगठनों जैसे महिला मण्डल, युवक मण्डल, स्वंय सहायता समूह एवं अन्य स्थानीय संगठनो का सहयोग लेती हैं और इन उप-समितियों में लाभार्थियों का भी प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाता है ताकि योजना का कार्यान्वयन उचित, कारगर एवं चिरस्थायी प्रकार से हो सके और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें तथा योजना का प्रभाव समुदाय पर चिरस्थायी प्रकार से पड़ सके तथा समुदाय की समस्या का समाधान भी चिरस्थायी भाव से सम्भव हो सके।

समिति ने वर्ष 1988 से लेकर जन सहभागिता से और आवश्यकता के आधार पर जिन-जिन योजनाओं को प्राथमिकता दी, उनके परिणाम लाभदायक रहे हैं। योजना के तहत जिन परिसम्पत्तियों (Assets) का निर्माण किया गया जैसे कि पेयजल भण्डारण टैंक, लघु सिंचाई के टैंक, वर्षा के पानी के संग्रह हेतु तालाब एवं पानी के चश्मे वे बावड़ियां आदि हैं, उनकी देखभाल लाभार्थी लोगों की एक ग्रामीण स्तर पर गठित कमेटी द्वारा स्वंय की जा रही है और आज निर्माण के 21 वर्षों बाद भी सभी परिसम्पत्तियां लोगों को लाभ पहुंचा रही है। क्षेत्र के स्थानीय प्रशासनाधिकारी जैसे उप-मण्डलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी जब क्षेत्र के दौरा पर जाते हैं तो समिति द्वारा किए गए कार्यों की सराहना किए बिना नहीं रहते और विकास के कार्यों में लगी ईकाईयों को इस संस्था के द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण देते हैं। इस कारण संस्था के काम करने का मनोबल और भी सुदृढ़ हो जाता है और संस्था के सभी कार्यकर्ता व सदस्य गण और भी अधिक कारगर, निष्ठा एवं चिरस्थायी विधि से समाज के विकासात्मक कार्य को अंजाम देने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

वर्ष 2020-2021 में समिति द्वारा किये गए कार्य की प्रगति प्रतिवेदना :

1. वृद्धाश्रम (Senior Citizen Home) एक फ्लैगशिप कार्यक्रम :

मानव कल्याण सेवा समिति वृद्धजनों के कल्याण हेतु पिछले तीन दशकों से लगातार विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती आ रही है। इसी कड़ी में समिति चौपाल मुख्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की वित्तिय सहायता से एक वृद्धाश्रम का संचालन वर्ष 2018 - 19 से करती आ रही है। समिति ने इस वद्धाश्रम को "सहारा वृद्धाश्रम" नाम दिया है तथा इस वृद्धाश्रम में 25 वृद्धजनों के लिए रहने की व्यवस्था है। वृद्धाश्रम में सभी वृद्धजनों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है जैसे प्रत्येक कमरे में उनके मनोरंजन के लिए टेलीविज़न उपलब्ध है, सभी कमरें में वृद्धों की सुविधा के लिए स्नानागार व शौचालय उपलब्ध है तथा वृद्धाश्रम के सामने वृद्धों की सुविधा के लिए पार्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वृद्धजनों के लिए मौसमानुकूल वस्त्र समय-समय पर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं तथा दिनचर्या में काम आने वाली सारी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। वृद्धजनों के स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए वृद्धाश्रम में एक नर्स की तैनाती की गई है इसके अतिरिक्त वृद्धजनों की नियमित स्वास्थ्य जांच वृद्धाश्रम में तैनात चिकित्सक द्वारा की जाती है।

वृद्धजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा वृद्धाश्रम के परिसर व प्रत्येक कक्ष में सी.सी.टी.सी. केमरे लगाए गए हैं जिनके लिए समिति द्वारा स्टैटिक आई.पी. भी ज़ारी करवाई गई है जिससे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार के अधिकारी एवं निरिक्षक वृद्धाश्रम का लाईव प्रसारण देख कर निरिक्षण कर सकते हैं तथा वृद्धाश्रम की हर गतिविधि पर व वृद्धों की, की जा रही सेवा-देखभाल पर नियमित रूप से निगाह रख सकते हैं।

वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का अच्छा स्वास्थ्य बना रहे इसके लिए वृद्धजनों के संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है जिसमे लिए वृद्धाश्रम में निपुण रसोइया उपलबध है। वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम में अंडा, मौसमी फलों व सब्ज़ियों के अतिरिक्त दलिया, कॉर्नफलैक्स तथा पौष्टिक आहार की सम्पूर्ण व्यवस्था है। वृद्धाश्रम में एक आहार विवरणिका मौजूद है जिसके अनुसार वृद्धजनों के लिए

नाश्ता, दिन के भोजन तथा रात्रिभोज की व्यवस्था की जाती है तथा सुबह, दिन व सांयकालीन चाय के साथ स्नैक्स दिये जाते हैं। वृद्धाश्रम में कुल 8 लोग कार्यरत है जो रात-दिन वृद्धजनों की सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। वृद्धाश्रम में आगजनी से बचाव के लिए वांछित प्रबन्ध किए गए हैं तथा प्रत्येक कमरे में सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगाए गए हैं। वैश्विक माहमारी कोरोना के चलते हुए भी वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों के बचाव हेतु भी सभी ज़रूरी प्रबन्ध किए गए। वृद्धाश्रम में मास्क तथा सेनिटाईज़र का उचित प्रबन्ध किया गया। हाल ही में कोविड - 19 का कहत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अतः वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति बिना प्रबंधक की आज्ञा के प्रवेश न करें।

वृद्धजनों के साथ अपनी खुशियां सांझा करने के लिए आगन्तुक वृद्धाश्रम आते रहते हैं तथा यहां पर वृद्धजनों के साथ अपने तथा अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तथा वृद्धजनों का आशिर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके लिए आगन्तुक अग्रिम रूप से यहां आने के लिए आवेदन करते हैं तथा समिति के प्रबन्धन के स्वीकृति के पश्चात् ही वे अपनी योजना अनुसार वृद्धाश्रम में आकर वृद्धजनों को फल व मिठाईयां आदि बांटते हैं तथा अपनी खुशियां सांझा करते हैं। इससे वृद्धजन भी उनकी खुशियों में शामिल होते हैं तथा उनका जीवन भी उमंग से भर जाता है।

स्थानीय प्रशासन के अधिकारी समय-समय पर समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम का निरिक्षण करते रहते हैं तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकरी (Chief Judicial Magistrate) जिला शिमला समय -समय पर व्यक्तिगत रूप से व विडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से निरिक्षण करते रहते हैं व सभी वृद्धजनों से बातचीत कर उनका हाल जानते रहते हैं।

वृद्धाश्रम में तशरीफ लाने वाले सभी सज्जन/आगन्तुक समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम की प्रशंसा करते हैं तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय को इस कार्यक्रम के लिए वित्तिय सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

मानवीय हृदयधारक आगन्तुक भली-भांति जानते हैं कि वृद्धाश्रम का संचालन कितना कठिन कार्य है। बहुत सारे वृद्धजन भोजन भी स्वंय नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलांना पड़ता है। कई वृद्धजन स्वंय स्नान भी नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने हाथों से नहलाना-धुलाना पड़ता है। कई वृद्धजन शौचालय तक भी नहीं जा पाते हैं और न ही शौचालय का प्रयोग की पाते हैं, उन्हें सहारा देकर शौचालय तक ले जाना पड़ता है। कई वृद्धजनों का शरीर अधिक आयु होने का कारण इतना शिथिल पड़ जाता है तथा चेतना रहित हो जाता है कि वे शौच आदि मल-मूत्र अपने वस्त्रों में ही त्याग देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका मल-मूत्र वृद्धाश्रम में कार्यरत सेवकों को अपने हाथों से साफ करना पड़ता है और उन्हें नहला-धुला कर स्वच्छ वस्त्र पहनाने पड़ते हैं। परन्तु थोड़ी देर में ही वे असहाय वृद्ध पुनः उन स्वच्छ पहनाए गए वस्त्रों पर भी अपना मल-मूत्र त्याग कर देते हैं और वहॉं कार्यरत सेवकों को पुनः उनका मल-मूत्र साफ कर उन्हें नहला-धुला कर स्वच्छ वस्त्र पहनाने पड़ते हैं। इस वृद्धाश्रम में 10 ऐसे वृद्धजन हैं जो स्वंय शौचालय तक नहीं जा पाते और उनकी सेवा में कार्यरत सेवक (Care Takers) को चौबियों घण्टे सतर्क रहना पड़ता है।

2. राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम (National Creche Scheme) :

समिति राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के वित्तिय सहयोग से विकास खण्ड चौपाल की विभिन्न दुर्गम पंचायतों में कुल 20 पालनाघर केन्द्रों का संचालन कर रही है। पालनाघर केन्द्र की जगह का चयन वहां के स्थानीय लोगों व ग्राम पंचायत की सहमति से किया गया है तथा पालनाघर केन्द्र में कार्यकर्ता व सहायकि की नियुक्ति भी स्थानीय लोगों व ग्राम पंचायत की सहमति से ही की गई है। केन्द्रीय सरकार के महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय की की इस कल्याणकारी योजना से 20 पालनाघर केन्द्रों में 0 से 3 वर्ष व 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 452 बालक/बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा उन्हें पाठशाला पूर्व शिक्षा के साथ - साथ अनुपूरक पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पालनाघर केन्द्रों में लाभान्वित हो रहे बालक/बालिकाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच अनुभवी चिकित्सक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता से करवाई जा रही हैं और उन्हें पल्स पोलियो प्रतिरक्षक खुराक आदि सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। इस वर्ष जनवरी माह के 19 तारीख को बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण खुराक पिलाई गई। प्रत्येक पालनाघर केन्द्र में दो-दो बाल सेविकाएं (1 कार्यकर्ता तथा 1 सहायिका) की नियुक्ति की गई है। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय भारत सरकार की इस योजना से 40 ज़रूरतमंद महिलाओं को उनके गांव में कार्यकर्ता व सहायिका के रूप में रोज़गार उललब्ध हो रहा हे। महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय व राज्य सरकार के इस कदम से राजीव गांधी राष्ट्रीय पालनाघर केन्द्र कार्यक्रम का संचालन और अधिक कारगर व सुव्यवस्थित विधि से चलाना सम्भव हुआ है तथा बालसेविकाएं व बच्चों के अभिभावक अधिक रूची ले रहे है। समाज के पिछड़ा व वंचित वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम से विशेषकर एवं वास्तविक रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार के इस अति महत्वकांक्षी कार्यक्रम को प्रशंसा मिलना स्वभाविक है।

मार्च 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना के चलने सम्पूर्ण देश में लॉकडॉउन लगाया गया तथा निदेशक महिला एवं बाल कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार पालनाघर केन्द्रों को बन्द रखा गया है तथा पालनाघर केन्द्र के लाभार्थी बालक तथा बालिकाओं को पौष्टिक आहार पालनाघर कार्यकर्ता तथा सहायिका द्वारा उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। परन्तु अप्रैल 2020 से अभी तक सरकार द्वारा कोई भी अनुदान ज़ारी नहीं किया गया है जबकि पालनाघर केन्द्रों के सभी लाभार्थी बालक/बालिकाओं को आवश्यक दवाईयां, मास्क तथा पौष्टिक आहार आदि घरद्वार पर पहुंचाया जा रहा है।

समिति उपरोक्त योजना का संचालन विकास खण्ड चौपाल में वर्ष 1991-92 से करती आ रही है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पालनाघर केन्द्रों का संचालन उन्हीं पिछड़े गांवों में किया जा रहा है जहां से आंगनबाड़ी केन्द्र डेढ़ या दो कि0मी0 की दूरी पर हैं। इस योजना की स्थानीय लोगों ने काफी सराहना की है तथा यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र की रूग्ण एवं कामकाजी महिलाओं के लिए व उनके बालक-बालिकाओं के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हुई है।

3. दलित वर्ग कार्यक्रम :

समिति ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम द्वारा अनुदानित इस अति लाभकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ऐसे लाभार्थियों के लिए किया जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अति असहाय तथा अति निर्धन परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करना है।

समिति इस कार्यक्रम का संचालन विगत कई वर्षों से लगातार करती आ रही है। वर्ष 2020-2021 इस कार्यक्रम का आयोजन समिति ने उक्त निगम की सहायता से ग्राम पंचायत देईया-दोची में किया। वैश्विक महामारी कोविड़-19 के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन 6 महीने ही कर पाई तत्पश्चात् सरकार के निर्देशानुसार प्रशिक्षण केन्द्र को कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए बन्द करना पड़ा। वर्ष 2020-2021 में 5 लोगों को ड्रैस व डिज़ाईनिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन्हें अपना रोज़गार संचालन के लिए हि0प्र0 अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम व बैंक के सहयोग से मु0 50,000/- से 1,00,000/- रूपये का सुगम ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे वे कथित प्रशिक्षित व्यवसाय से अपना स्वरोज़गार सुचारू रूप से चला रहे हैं।

4. वृद्ध लोगों की सेवा व देखभाल हेतु बच्चों को संस्कारित करना (Sensitization of School & College Students) :

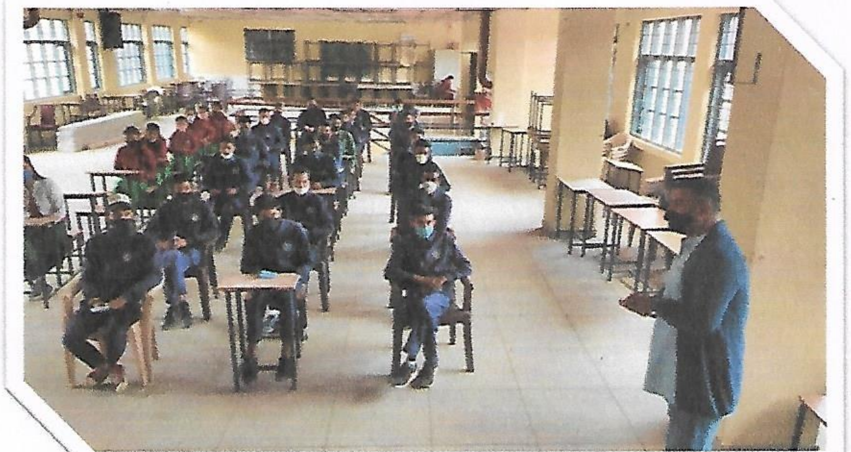

समिति क्षेत्र की आगामी पीढ़ी व देश के भावी बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए व उनमें उच्च कोटी के संस्कार एवं वृद्धजनों के पालन-पोषण एवं उनकी देखभाल हेतु उनके आचार व्यवहार में तबदीली लाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन विकास खण्ड चौपाल व कुपवी के विभिन्न स्थानों पर कोविड- 19 के Protocol तथा Safety measures को ध्यान में रखते हुए किया। समिति इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 4 वर्षों से समिति निज़ी साधनों से कर रही है। समिति ने स्कूली बच्चों व कॉलेज के बच्चों के लिए ... जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जिनके द्वारा उनमें बुजुर्गों के प्रति आदर, व सेवा का भाव जागृत करने का प्रयत्न किया गया और घर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए

प्रोत्साहित किया गया। इस कार्यक्रम का असर बच्चों में वृद्धों की देखभाल करने हेतु उनके बदले हुए व्यवहार व संस्कार से देखने में मिला। युवक एवं युवतियां अब भली-भांति अपने वृद्धजनों (माता-पिता व दादा-दादी) की भली-भांति सेवा सुश्रुषा करते नज़र आते हैं जिससे इस कार्यक्रम की सफलता का संकेत मिलता है। हालांकि पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे समाज की युवा पीढ़ी को वांछित संस्कार में ढालना एक अत्यन्त कठिन कार्य है फिर भी लगातार प्रयत्नों से अच्छे परिणाम की आशा की जा सकती है।

5. मोबाईल मेडिकेयर युनिट (Mobile Medicare Unit) :

MMU "घर-द्वार पर वृद्धजनों की स्वास्थ्य जॉच इकाई"

मानव कल्याण सेवा समिति के मुख्य उद्देश्यों में वृद्धजनों (वरिष्ठ नागरिकों) की सेवा, उत्तम स्वास्थ्य देखभाल/जांच, सुलभ उपचार तथा बढ़ती आयु के साथ लगने वाले रोगों से बचाव, खान-पान बारे जागरूकता व कौंसलिंग एक महत्त्वपूर्ण व प्रमुख भाग है। इसी उद्देश्य को मध्यमज़र रखते हुए समिति वर्ष 2015-2016 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मोबाईल मेडिकेयर युनिट (MMU) का संचालन निज़ी साधनों से करती रही है। वर्ष 2010-2021 में भी समिति ने विकास खण्ड चौपाल की 12 ग्राम पंचायतों में ऐसे स्थानों का चयन किया जहां सुगमता से 2 या 3 पंचायतों के वृद्धजन सुगमता से शिविर में भाग ले सकते हैं। इन 12 शिविरों से 1400 वृद्धजनों (महिलाओं व पुरूषों) ने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया तथा वृद्धजनों के सुगम लैबोरेटरी टैस्ट तथा आवश्यक औषधियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। समिति द्वारा सभी वृद्धजनों एवं शिविर में भाग लेने आए लाभार्थियों को मास्क तथा सेनेटाईज़र वितरित किए गए। समिति वर्ष 2017-18 से लगातार इस कार्यक्रम को निज़ि साधनों से चला रही है और तभी से अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्राय को भी भेजती रही है परन्तु अभी तक अनुदान की स्वीकृति नहीं मिली है, समिति इस वृद्धजनों के कल्याणकारी कार्यक्रम को आने वाले वित्तिय वर्ष में भी ज़ारी रखेगी और अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए भी मन्त्रालय को प्रेषित करेगी।

6. Drug demand Reduction among adolescents :

समिति ने युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने तथा नशीली दवाओं के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से National Institution of Social Defense, R.K. Puram New Delhi के वित्तिय सहयोग से Drug Demand Reduction कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए National Institution of Social Defense, R.K. Puram New Delhi ने दिनांक 05.03.2020 को मु0 24,06,125/- रूपये की राशि स्वीकृत की जिसका 25 प्रतिशत मु0 6,02,031/- रूप्ये प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 31.03.2020 को ज़ारी कर दिया था। चूंकि यह राशी मार्च महीने के आखित में समिति का ज़ारी की गई इसलिए समिति ने यह राशि वर्ष 2020-21 में इस कार्यक्रम के संचालन में उपयोग की। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 में ज़िला शिमला के विभिन्न ब्लॉकों की विभिन्न पंचायतों में कुल 1468 सैशन/शिविरों का आयोजन किया जिनके माध्यम से किशोर तथा किशोरियों को नशे से हाने वाली हानियों के बारे में जागरूक किया गया। इन सैशन/शिविरों के माध्यम से 14,680 किशोर/किशोरियों को प्रशिक्षित कर लाभान्वित किया गया तथा इन 14,680 प्रशिक्षित लाभार्थी/Peer Volunteers के प्रशिक्षण के दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 के Protol तथा Safety measures को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सैशन में कुल 10 किशोर/किशोरियों की कॉउंसलिंग की गई। इन सेशन/शिविरों में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों जैसे पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, स्कूली अध्यापक, वन विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया तथा किशोर/किशोरियों को नशे से दूर रहने के

लिए प्रोत्साहित किया व मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा इस दिशा में किये जा रहे कार्यों की तथा इस कार्यक्रम की प्रशंसा की इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग प्रत्येक सैशन/शिविर की विडियो स्क्रिप्ट तथा फोटो समिति ने कार्यालय रिकाड़ में रखी है तथा Progress, Utilization Certificate व Accounts समिति ने NISD तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार को समय-समय पर प्रेषित कर दी है।

इसके अतिरिक्त किशोर/किशोरियों के अभिभावकों के साथ भी बैठकें की गई तथा उनसे कहा गया कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें कि उनके बच्चे कहीं नशे की राह पर न चल रहे हों एवं अन्य Stake Holders एवं समाज के अन्य वर्गों के साथ भी बैठकों का आयोजन किया गया व उनसे इस कार्यक्रम को कारगर रूप से चलाने के लिए सहयोग के लिए विनति की, क्यों कि आम जन के सहयोग के बिना इस कार्यक्रम को चलाना ज़मीन पर से आसमान को छूने जैसी बात है।

समिति ने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए एक भवन के ग्राउंड फलोर के चार कमरे किराये पर लिए हैं और स्टॉफ की नियुक्ति भी की है जिनमें 1 प्राजैक्ट कोआडिरेटर, 2 निरिक्षक/सुपरवाईज़र सम्मिलित हैं। CPLI के कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं रिकाड़ को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक कार्यालय सहायक की नियुक्ति भी की है।

समिति ने किशोर एवं किशोरियों को नशे की लत से दूर रखने के लिए एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है जिसमें नशे से होने वाली हानियां, नशे से बचने के उपाय, नशा छोड़ने के उपाय, लक्ष्ण आदि पर विस्तार से जानकारी दी गई है।

समिति ने वर्ष 2021-22 में भी इस योजना को ज़ारी रखने का निर्णय लिया है, इस आशा के साथ कि जिला शिमला में प्रशिक्षित किशोर व किशोरियों की नशा रूपी शत्रु को हराने के लिए एक सशक्त सैना तैयार कर सकने में समर्थ हो सकेंगे व अपने देश के भविष्य कहलाए जाने वाले किशोर व किशारियों को इस विनाशकारी गर्त से बाहर निकालने में कामयाब हो सकेंगे।

प्रशिक्षित Peer Volunteers अपने-अपने गांव व कस्बे में अपनी उम्र के साथियों को नशे के दुष्प्रभाव, हानियां व इससे छुटकारा पाने के बारे अवगत व जागरूक कर रहे हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2021-21 में किशोर व किशोरियों द्वारा नशे के प्रयोग के समाचारों एवं पुलिस रिकार्ड़ के मुताबिक आशातीत कमी देखने को मिली है।

यदि इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो CPLI परियोजना की सार्थकता व महत्वता स्थापित हो जाती है और यह सिद्ध हो जाता है कि CPLI परियोजना नशा का प्रयोग एवं नशा नियंत्रण पाने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है।

वर्ष 2021-21 में CPLI परियोजना का सफल संचालन करते हुए यह आभास हुआ है कि नशा का चलन व किशोर/किशोरियों द्वारा नशा का प्रयोग करना कानून एवं दण्ड के साथ-साथ ज़मीनी स्तर पर जागरूकता पैदा करने पर ही रोक पाना संभव हो सकेगा।

<u>वर्ष 2022-2023 के लिए प्रस्तावित योजनाएं :</u>

समिति वर्ष 2022-2023 के दौरान उपरोक्त सभी योजनाएं वित्तप्रदायी संस्थानों के सहयोग से ज़ारी रखने का भरसक प्रयत्न करेगी व विभिन्न अनुदान प्रदायी संस्थानों को विकासात्मक व कल्याणकारी योजनओं के संचालन हेतू अनुदान स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करेगी जिनमें से मुख्य योजनाएं निम्नलिखित है:

1. युवा पिढ़ी में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को रोकने हेतु तथा किशोर/किशोरियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने हेतु कार्य करना। इस कार्यकम्र के संचालन हेतु अनुदान की स्वीकृति के लिए भारत सरकार से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय को प्रस्ताव प्रेषित करना।
2. निर्धन एवं बेरोज़गार युवकों व युवतियों के लिए आय वर्धक व्यवसाय में में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन करना। इसके लिए नाबार्ड के राज्य कार्यालय शिमला से निवेदन किया जाना प्रस्तावित है।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत स्वंय सहायता समूहों का गठन करना व बैंक से लिंकेज कर सरकार की सूक्षण ऋण योजना व National Rural

Livelihood Mission के अंतर्गत उप अनुदान उपलब्ध करवाना व स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण तथा उनकी कार्य करने की क्षमता वर्धन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना।

4. पिछडे व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में Roof top Rain Water Harvesting योजना के संचालन के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्थान/मन्त्रालय को अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करना।

5. जल संग्रहण के लिए वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरों का निर्माण करना। इस योजना के तहत जंगल, चरागाहों आदि में तालाब खुदवाने की योजना है ताकि वर्षा का जल संग्रहित किया जा सके जो सूखाग्रस्त स्थिति में भूमि की सिंचाई के काम एवं पशुओं के पीने आदि के प्रयोजन में सार्थक हो तथा योजना के संचालन के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्थान/मन्त्रालय को अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करना।

6. AIDS, TB, मलेरिया व जलजनित रोगों की रोकथाम विषय बारे जागरूकता शिविरों एवं नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से प्रयास करना तथा परियोजना की संचालन के लिए सम्बन्धित विभाग/संस्थान/मन्त्रालय को अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रेषित करना।

7. Finnovation के सहयोग से CSR योजना के अंतर्गत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजना तथा स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के लिए आजीविका उपार्जन योजना का संचालन करना।

MKSS

(केशव राम लोदटा)

निदेशक